न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 181/2023

प्रार्थीगण

1. भैराराम पुत्र लिखमाराम
2. धर्माराम पुत्र लिखमाराम
3. टीकमाराम पुत्र लिखमाराम
4. दुर्गाराम पत्रु खेताराम
5. खंगाराराम पुत्र खेताराम
6. देदाराम पुत्र खेताराम
7. मीरोदेवी पत्नि खेताराम
8. मीरोदेवी पत्नि खेताराम
   जातियान जाट निवासी
   कैरालापाना तहसील सिणधरी
   जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. धनाराम पुत्र करनाराम
2. वसाराम पुत्र मगनाराम
3. पुराराम पुत्र पुरखाराम
4. प्रहलादराम पुत्र पुरखाराम
5. गंगाराम पुत्र पुरखाराम
6. धीराराम पुत्र पुरखारा जातियान जाट निवासी कैरालापाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. सांवलाराम पुत्र तेजाराम
8. सांवलाराम पुत्र अजाराम
9. सादुराम पुत्र अजाराम
10. सोनाराम पुत्र तेजाराम
11. जेठाराम पुत्र नाथाराम
12. वैलाराम पुत्र खिमाराम जातियान कलबी निवासी कुकलों की ढाणी
13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कादानाडी के राजस्व ग्राम कैराला पाना में खसरा संख्या

खण्ड अधिकारी

371, 372 रकबा कमश 0.0647, 17.7333 हैक्टेयर कुल रकबा 17.7980 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कादानाडी के राजस्व ग्राम कैराला पाना में खसरा संख्या 371, 372 रकबा कमश 0.0647, 17.7333 हैक्टेयर कुल रकबा 17.7980 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कादानाडी के राजस्व ग्राम कैराला पाना में खसरा संख्या 371, 372 रकबा कमशः 0.0647, 17.7333 हैक्टेयर कुल रकबा 17.7980 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कादानाडी के राजस्व ग्राम कैराला पाना में खसरा संख्या 371, 372 रकबा कमशः 0.0647, 17.7333 हैक्टेयर कुल रकबा 17.7980 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कादानाडी के राजस्व ग्राम कैराला पाना में खसरा संख्या 371, 372 रकबा कमशः 0.0647, 17.7333 हैक्टेयर कुल रकबा 17.7980 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कादानाडी के राजस्व ग्राम कैराला पाना में खसरा संख्या 371, 372 रकबा कमशः 0.0647, 17.7333 हैक्टेयर कुल रकबा 17.7980 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:13 IST
Reason: SelfAttested